नवाचार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगे स्कूल के शिक्षक अकल सिंह ने 10 साल में बदल दी प्राइमरी स्कूल छपला की तस्वीर

शिक्षक ने कबाड़ से बनाए उपकरण, बच्चे चलते फिरते करते हैं पढ़ाई

गुनेश्वर सहारे, अशोक यैगारे
वालाघाट/मोहगांव। ● नवदुनिया न्यूज

बालाघाट से 110 किमी दूर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगी बिरसा तहसील के ग्राम छपला के शासकीय प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अकल सिंह धुर्वे ने कबाड़ की सामग्री से शिक्षा के उपकरण बनाए हैं। इस पर आने वाला खर्च भी उन्होंने ही वहन किया है।

उपकरणों से बच्चों को गिनती या गणित के सवाल हल करने में मदद मिलती है। बारहखड़ी सिखाने के लिए भी इस तरह के उपकरण बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन उपकरणों से रोजाना छात्र चलते-फिरते पढ़ाई कर नॉलेज प्राप्त करते हैं। इससे स्कूल में हर साल दर्ज संख्या बढ़ रही है।

शिक्षक धुर्वे 2009 से छपला में पदस्थ हैं और यहां गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने प्लास्टिक की फूटी हुई पानी की टंकी, टीन शेड, साइकिल के एक्सल और कार्टून से आठ उपकरण तैयार किए हैं। इनको बनाकर प्रत्येक कक्षा में रखा गया है जिनसे बच्चे खेल-खेल में पढ़कर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इन 10 साल में धुर्वे ने अपने वेतन से 26 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं।

स्कूल को किया सुसज्जित : धुर्वे ने स्कूल को सुसज्जित किया है। उन्होंने अपने हाथों से पेंटिंग की है। स्कूल में रंग रोगन वे खुद ही करते हैं। इनकी मेहनत व लगन की बदौलत शासकीय प्राइमरी स्कूल छपला जिले में पढ़ाई से लेकर दर्ज संख्या में नंबर वन बन गया है। वर्तमान में पहली से पांचवीं तक 132 छात्र हैं।

बालाघाट/मोहगांव। ब्लैक बोर्ड पर गिनती सेट करते हुए छात्राएं। ● नवदुनिया

> प्राइमरी स्कूल छपला के शिक्षक की पहल सराहनीय है। वे कबाड़ की सामग्री से उपकरण बनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवा रहे हैं। इसके अलावा रोजाना एक घंटे जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन के लिए अतिरिक्त क्लास भी वे लेते हैं। **-पीके अंगुरे, डीपीसी वालाघाट**

ये हैं आठ उपकरण

- अक्षर मात्रा उपकरण, जिससे बच्चे मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
- संख्या मिलाने वाला उपकरण।
- तीन अंकों में शब्द जोड़ने वाला उपकरण।
- ईकाई से लेकर करोड़ तक संख्या वाला उपकरण।
- संख्या व मात्राओं को जोड़ने वाला ब्लैक बोर्ड।
- पैकेट बोल उपकरण।
- शब्द बनाओ उपकरण।
- बिना मात्रा वाले चार अक्षर जोड़ने वाला उपकरण।

बेटियों को भी वे हक मिलें जो बेटों तक सीमित थे

पिता की वसीयत में शादीशुदा बेटी का कुंवारी बेटी जितना ही अधिकार है। यदि पिता की मौत 2005 के बाद हुई है तो पुरखों की प्रॉपर्टी पर बेटी का दावा करने का पूरा हक बनता है, चाहे समय कितना भी बीत चुका हो।

वसीयत विषय के इस भाग में हम 'बेटियों का संपत्ति में हिस्सा' पर बात करेंगे। पुराने कानून में बेटियों को पिता की वसीयत-संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान नहीं था। लेकिन, 9 सितंबर 2005 को 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' में संशोधन कर बेटियों (कुंआरी-शादीशुदा) को भी बेटों के बराबर पारिवारिक संपत्ति अथवा वसीयत में भागीदार बनाने का हक दिया गया है। हां, यह बात अलग है कि कोई बेटी अपना हिस्सा लेने से मना कर दे। इतना ही नहीं, उसे पिता की वसीयत का प्रबंधक भी बनाया जा सकता है। हालांकि, बेटियों को यह लाभ तभी मिलेगा, जब पिता का निधन 9 सितंबर 2005 के बाद हुआ हो। ऐसा भी होता है कि बच्चे माता-पिता से दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, देखभाल नहीं करते, इस स्थिति में माता-पिता को बच्चों से तुरंत घर खाली करा लेने का अधिकार कानून ने दिया है। वे बेटे-बेटियों को वसीयत से बेदखल कर सकते हैं। यही बात बेटी-दामाद पर भी लागू होती है।

सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्नः शादीशुदा बेटी कैसे हक जताएगी?

- 2005 में संपत्ति संबंधी कानून में संशोधन किया गया है। उसके अनुसार बेटी कुंआरी हो या शादीशुदा, पिता की मौत के बाद वह भी उनकी संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदार होगी।

प्रश्नः पिता ने वसीयत ही न बनाई हो तब?

- ऐसी स्थिति में भी परिवार के सभी सदस्यों (बेटियां भी) का संपत्ति में बराबरी का हिस्सा माना जाएगा। 'हिंदू उत्तराधिकार कानून' में पुरुष उत्तराधिकारियों को चार वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास-एक के उत्तराधिकारियों के पास जाती है। इनमें विधवा, बेटी और बेटे या अन्य शामिल हैं। इसका मतलब है पिता की संपत्ति में बेटी का बराबर हिस्सा।

प्रश्नः बेटी का जन्म या पिता की मौत 2005 से पहले हुई हो तो?

- फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 के बाद हुआ या उसके पहले। पिता की संपत्ति में बेटी का बेटे जितना अधिकार होगा। फिर वह चाहे पैतृक संपत्ति हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड। पिता की मौत 2005 से पहले हुई है तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को पिता की वसीयत के अनुसार बांटा जाएगा।

प्रश्नः मां की मौत के बाद बेटी का नाना की संपत्ति पर हक होगा?

- नाना ने संपत्ति चाहे खुद के दम पर जुटाई हो या उन्हें विरासत में मिली हो, आपकी मां और उनके भाई-बहन ही कानूनी रूप से उसे पाने के हकदार होंगे, आप नहीं।

(अन्य जानकारी के लिए विजिट करें- info.mysabkuch.com)